(51)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2418–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14–7–2015 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 41/2013–14

1– धर्मवीर पुत्र कल्याण
2– लक्ष्मीनारायण पुत्र कल्याण
जाति ब्राहमण निवासी ग्राम
मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

राजवीर पुत्र गौरीशॅकर जाति लखेरा
निवासी ग्राम मालनपुर तहसील
गोहद जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश ---अनावदेक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री आर.एस.कुशवाह)

आ दे श

(दिनांक 4–3– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 41/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–2015 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदकगण ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व की ग्राम मालनपुर में भूमि सर्वे नंबर 256, 257, 265, 248 कुल रकबा 0.763 हैक्टर था बंदोवस्त के वाद नये सर्वे नंबर 438, 437,431,635 कायम हुये परन्तु रकबा कम कर दिया गया है

जिसे अपर तहसीलदार गोहद वृत्त एण्डोरी ने प्रकरण कमांक 14/08-09 अ-5 में पारित आदेश दिनांक 16-4-10 से कम रकबे की पूर्ति कर दी है, तद्नुसार नक्शा भी सॅशोधित किया जावे। कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 37/2009-10 अ 74 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 21-3-2013 पारित किया एंव नक्शा सॅशोधित करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 41/2013-14 प्रस्तुत करने पर अंतरिम आदेश दिनांक 14-7-2015 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में विचार किया जाना है कि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने अपील कमांक 41/2013-14 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14-7-2015 में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण कमांक 37/2009-10 अ 74 में पारित आदेश दिनांक 21-3-2013 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अनावेदक ने दिनांक 29-1-14 को अर्थात 10 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन देकर बताया है कि उसे कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 21-3-13 की जानकारी 8-1-14 को रिस्पाण्डेन्ट के व्दारा प्लाट पर कब्जा करने का कहने पर हुई, और 9-1-14 को नकल का आवेदन दिया तथा 15-1-14 को नकल प्राप्त करने पर 27-1-14 को मुरैना जाकर अपील की गई है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तिथियों पर गौर करने से परिलक्षित है कि जब अनावेदक को 15-1-14 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई एंव उसके व्दारा 29-1-14 को

अपील प्रस्तुत की गई है तब 15-1-14 से 29-1-14 के बीच की अवधि के दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया - इस सम्बन्ध में अनावेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा-5 - विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन - दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया - विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

परन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 14-7-2015 पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है एंव इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि उनके व्दारा बेरुम्याद अपील को म्याद में मान लेने से पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ेगी।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 41/2013-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14-7-2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 37/2009-10 अ 74 में पारित आदेश दिनांक 21-3-2013 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर